



2026:AHC:29900

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट - ए सं. - 2060 सन् 2026

विनेश कुमार

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता(गण) : कैलाश प्रकाश पांडे

प्रतिवादी के अधिवक्ता(गण) : सी.एस.सी.

न्यायालय सं. - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री कैलाश प्रकाश पांडे ने वर्तमान रिट याचिका को नए सिरे से दायर करने की स्वतंत्रता के साथ वापस लेना चाहा है।

2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

3. तदनुसार, रिट याचिका को उपरोक्त स्वतंत्रता के साथ वापस लेकर खारिज किया जाता है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

फरवरी 11, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"